

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा वाँछित अभियुक्त सम्बंधित मु0अ0स0 441/19 धारा 370/420/406 भादवि में गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध/वाँछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ऑपरेशन 420 में पुलिस अधीक्षक देहात व क्षेत्राधिकारी मोदीनगर महोदय व प्रभारी निरीक्षक भोजपुर के कुशल निर्देशन में उ0नि0 मनोज त्यागी थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अभि0 डा0 मुजाहिद पुत्र अबरार नि0 त्योंडी 7 बिस्वा थाना



भोजपुर गाजियाबाद सम्बंधित मु0अ0स0 441/19 धारा 370/420/406 भादवि को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

अपराध कारित करने का तरीका-

अभियुक्त द्वारा गांव के सीधे सादे लोगो से पैसे लेकर उनका वीजा बनवाकर विदेश में नोकरी दिलाने का झासा देकर धोखाधडी करना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

डा0 मुजाहिद पुत्र अबरार नि0 त्योंडी 7 बिस्वा थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष

आपराधिक इतिहास का विवरण -

मु0अ0स0 441/19 धारा 370/420/406 भादवि थाना भोजपुर गाजियाबाद

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गैरेस्टर एक्ट के 02 नफर वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में वाँछित/वारण्टी अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री अभिषेक वर्मा के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री अभय कुमार मिश्र महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री संदीप कुमार सिंह की टीम द्वारा दिनांक: 06/11/2020 को नया बसअड्डा गाजियाबाद से दौराने चैकिंग पुलिस टीम द्वारा गैरेस्टर अभियोग के 02 नफर वाँछित अभियुक्तगण 1.पंकज पुत्र गजेन्द्र 2.अमन पुत्र विष्णु सम्बन्धित मु0अ0सं0 727/2020 धारा 2/3 गैरेस्टर एक्ट को गिरफ्तार किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया हम लोग अपने साथियों के साथ मिलकर गाजियाबाद में वाहन चोरी आदि की घटनाए करते हैं। वाहन चोरी के मामले में अभी जेल से बाहर आये हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-



- 1.पंकज पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी म0नं0 576 त्यागी मार्केट घूकना मोड थाना सिहानीगेट गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष
- 2.अमन पुत्र विष्णु निवासी ग्राम समाना थाना धौलाना जिला हापुड उम्र करीब 32 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त पंकज-

1. मु0अ0सं0 528/2020 धारा 414 भादवि0 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0 1150/2019 धारा 379/411 भादवि0 थाना सिहानीगेट गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 1502/2019 धारा 379/411 भादवि0 थाना सिहानीगेट गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 1301/2020 धारा 379/34/411 भादवि0 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमन -

1. मु0अ0सं0 528/2020 धारा 414 भादवि0 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0 1150/2019 धारा 379/411 भादवि0 थाना सिहानीगेट गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 1502/2019 धारा 379/411 भादवि0 थाना सिहानीगेट गाजियाबाद
4. मु1301 0सं0अ0/379 धारा 2020/34/ थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद 0भादवि 411

थाना कविनगर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम नाजायज डोडा चूर्ण बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी द्वितीय के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक कविनगर के कुशल निर्देशन में थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान कमला नेहरु नगर नशा मुक्ति केन्द्र तिराहा चौकी क्षेत्र सै-23 संजय नगर से एक अभियुक्त शाहरुख पुत्र असलम नि0 जे0 ब्लाक , से0 23 संजयनगर थाना कविनगर गा0बाद मूल पता- राधे श्याम हलवाई के पास प्रताप विहार विजय नगर थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद को दिनांक 05.11.2020 समय 16.30 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम नाजायज डोडा चूर्ण बरामद हुआ है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त शाहरुख ने पूछताछ पर बताया मैं नाजायज डोडा चूर्ण बनाकर लोगो को बेचता हूँ। जिससे मैं अपनी जीविका चलाता हूँ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सिहानी गेट पर भी अभियोग पंजीकृत हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

शाहरुख पुत्र असलम नि0 जे0 ब्लाक , से0 23 संजयनगर थाना कविनगर गा0बाद मूल पता राधे श्याम हलवाई के पास प्रताप विहार विजय नगर थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण -


अभियुक्त के कब्जे से 1कि0 100 ग्राम नाजायज डोडा चूर्ण बरामद होना।

आपराधिक इतिहास -

- 1.मु0अ0सं0-1551/20 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद
- 2.मु0अ0सं0-1137/17 धारा 41/102 सी.आर.पी.सी व 411/414 भादवि थाना सिहानी गेट
- 3.मु0अ0सं0- 1135/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिहानी गेट

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 02अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से अवैध 87 ग्राम नशीला अल्प्राजोलम पाउडर बरामदा

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदों में अपराधियों पर चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा दिनांक: 05.11.2020 को समय 23.50 बजे 80 फुटा रोड चौधरी बिल्डर्स की दुकान से 10 कदम की दूरी सीमापुरी की तरफ थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से **अभि0 गण 1. राजा पुत्र हैदर नि0 विक्रम इकलेव तिकोना पार्क के पास किरायेदार किशन का मकान थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष 2. सलीम पुत्र इलियास खान नि0 झुग्गी 341/108 ईदगाह के पास मछली मार्केट न्यु सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र 18 वर्ष** को **87 ग्राम** अवैध नशीला पाउडर अल्प्राजोलम सहित गिरफ्तार किया गया है।



अपराध कारित करने का तरीका:-

अभि0 गण राजा, सलीम उपरोक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया मैं हम लोग नशीला अल्प्राजोलम पाउडर बेचकर खर्चा चलाते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. राजा पुत्र हैदर नि0 विक्रम इकलेव तिकोना पार्क के पास किरायेदार किशन का मकान थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष
2. सलीम पुत्र इलियास खान नि0 झुग्गी 341/108 ईदगाह के पास मछली मार्केट न्यु सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र 18 वर्ष

पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-

- 1.मु0अ0स0 1314/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद बनाम राजा उपरोक्त 45 ग्राम अवैध पाउडर
- 2..मु0अ0स0 1315/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद बनाम सलीम उपरोक्त 42 ग्राम अवैध पाउडर

बरामदगी का विवरण:-

87 ग्राम अवैध नशीला पाउडर अल्प्राजोलम

थाना कविनगर पुलिस द्वारा धोखाधडी के अपराध मे वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा धोखाधडी के वांछित अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन 420 के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 06.11.20 को थाना कविनगर के अ0सं0 1522/20 धारा 420/406/467/468/471/506/120बी भादवि व अ0सं0 1523/20 धारा 420/406/467/468/471/506/504 भादवि मे वांछित चल रहे अभियुक्त सिद्धार्थ जैन पुत्र विपिन कुमार जैन निवासी 5/291 चिरंजीव बिहार थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद हाल निवासी 16 आलोक कालोनी थाना कोतवाली जनपद हापुड को मुखबिर की सूचना पर हापुड चुंगी चौराहा थाना कविनगर से गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त का कविनगर मे होली ऐन्जल पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल है जिसमे अभियुक्त ने एक समिति बना रखी है अभियुक्त व उसके परिजन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रबन्धक के रूप मे नियुक्त है। अभियुक्त द्वारा साजिश के तहत कई लोगो से समिति की देनदारी के नाम पर कई करोड रुपये लेकर अपने सदस्यता समाप्त करने के फर्जी शपथ पत्र व दस्तावेज तैयार कर वादी श्री रघुवीर सिंह यादव व राहुल सिंह को दे दिये और सोसायटी रजिस्ट्रार कार्यालय मेरठ मे जमा करा दिये और इस तरह धोखा धडी करके कूट रचित दस्तावेजो के आधार पर वादी गण को विश्वास दिलाकर करीब 8 करोड रुपये ठग लिये और रजिस्ट्रार कार्यालय मे यह आपत्ति लगा दी कि यह दस्तावेज उसके द्वारा तैयार नहीं किये गये है । जांच से अभियुक्त गण के विरुद्ध धोखा धडी व जालसाजी के पर्याप्त पाये गये है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

सिद्धार्थ जैन पुत्र विपिन कुमार जैन निवासी 5/291 चिरंजीव बिहार थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद हाल निवासी 16 आलोक कालोनी थाना कोतवाली जनपद हापुड ।

नाम पता फरार अभियुक्त –

- 1- विपिन कुमार जैन निवासी 5/291 चिरंजीव बिहार थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद ।
- 2- श्रीमती शानू जैन पत्नी सिद्धार्थ जैन निवासी उपरोक्त ।
- 3- श्रीमती साक्षी जिन्दल पत्नी अमित जैन निवासी उपरोक्त ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

- 1- मु0अ0सं0 1522/20 धारा 420/406/467/468/471/506/120बी भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- 2- मु0अ0सं0 1523/20 धारा 420/406/467/468/471/506/504 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।



02 नफर अभियुक्त मय 84 पन्वे अग्रेजी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री नीरज कुमार जादौन महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर गाजियाबाद श्री सुनील कुमार सिंह महोदय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना मोदीनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 06.11.2020 को उ०नि० रामनारायण सिंह की टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 शराब तस्कर 1- राहुल शर्मा पुत्र सतीश शर्मा निवासी हनुमापुरी हापुड रोड मोदीनगर व 2. गौरव पुत्र श्री प्रकाश शर्मा निवासी-सीकरी कला थाना मोदीनगर गाजियाबाद को चौधरी ढाबा मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया। जिस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०स० 935/20 धारा 60/63 आबकारी अधि० व मु०अ०स० 936/20 धारा 60/63 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार शूदा अभियुक्त :-

- 1- राहुल शर्मा पुत्र सतीश शर्मा निवासी हनुमापुरी हापुड रोड मोदीनगर गाजियाबाद।
- 2- गौरव पुत्र श्री प्रकाश शर्मा निवासी सीकरी कला थाना मोदीनगर गाजियाबाद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास :-

1. मु०अ०स० 935/20 धारा 60/63 आबकारी अधि० बनाम राहुल शर्मा पुत्र सतीश शर्मा निवासी हनुमापुरी हापुड रोड मोदीनगर गाजियाबाद।
2. मु०अ०स० 936/20 धारा 60/63 आबकारी अधि० बनाम गौरव पुत्र श्री प्रकाश शर्मा निवासी सीकरी कला थाना मोदीनगर गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण :-

1. अभि० राहुल शर्मा से 40 पन्वे अग्रेजी शराब High Premium whisky for sale in Arunachal Pradesh नाजायज बरामद।
2. अभि० गौरव से 44 पन्वे अग्रेजी शराब IMPACT GRAIN WHISKY FOR SALE IN HARYANA ONLY नाजायज बरामद।



थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही:- दिनांक 01.10.20 को वादी सलीम पुत्र गफ्फार नि0 ग्राम नगला कुम्भा थाना जानी मेरठ द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 696/20 धारा 420,406,34,411 भादवि कराया गया था। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद के निर्देशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर गाजियाबाद के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना मुरादनगर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा कठिन परिश्रम करके घटना को कारित करने वाले अभियुक्त मोहरपाल पुत्र विद्याराम नि0 ग्राम करियावेन थाना जरीफनगर जिला बदायूँ को मय ट्रैक्टर महेन्द्रा न0 UP12 S 1226 के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. मोहरपाल पुत्र विद्याराम नि0 ग्राम करियावेन थाना जरीफनगर जिला बदायूँ

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि महेन्द्रा ट्रैक्टर UP12S 1226 को मैंने सवा लाख रुपये में सलमान पुत्र अलीजान नि0 ग्राम दहगवा थाना जरीफ नगर जिला बदायूँ से लिया है तथा मैं धोखाधड़ी व चोरी करके भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रैक्टर ग्राम दहगवा की मंडी में फर्जी कागज तैयार करके खरीदता व बेचता हूँ। तथा मैं अन्य लोगों के साथ मिलकर ट्रैक्टरों की खरीद फरोक्त करता हूँ।

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण:-

महेन्द्रा ट्रैक्टर UP12S 1226

आपराधिक इतिहास अभियुक्त -

1. मु0अ0सं0 696/20 धारा 406,34,420,411 भादवि थाना मुरादनगर, गाजियाबाद



थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा एक अभि0 को मय 1 किलो 300 ग्राम गांजा के गिरफ्तार :- थाना लोनी बोर्डर

पुलिस द्वारा दिनांक 06.11.2020 को समय करीब 10.20 बजे, बन्द फाटक के पास थाना लोनी बोर्डर गा0बाद से अभि0 चन्दू उर्फ चन्द्रकेश पुत्र मंगल सैन निवासी कुम्हार कालोनी गोविन्द टाउन थाना लोनीबोर्डर जनपद गाजियाबाद को मय 1 किलो 300 ग्राम गांजा नाजायज के गिरफ्तार किया गया। जिस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 964/2020 धारा 8/20 NDPS.ACT पंजीकृत कर अभि0 को जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. चन्दू उर्फ चन्द्रकेश पुत्र मंगल सैन निवासी कुम्हार कालोनी गोविन्द टाउन थाना लोनीबोर्डर जनपद गाजियाबाद।

अभियुक्त चन्दू उर्फ चन्द्रकेश का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 339/2020 धारा 457,380,411 भादवि

मु0अ0सं0 344/2020 धारा 411 भादवि

मु0अ0सं0 964/2020 धारा 8/20 NDPS.ACT थाना लोनी बोर्डर गा0बाद ।

अभि0 चन्दू उर्फ चन्द्रकेश से बरामदगी का विवरण-

1 किलो 300 ग्राम गांजा नाजायज बरामद ।



गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अथक प्रयास से लापता व्यापारी श्री पराग घोष को किया गया सकुशल बरामद

दिनांक 28.10.2020 को वादिनी श्रीमती ऋचा घोष द्वारा अपने पति पराग घोष पुत्र फणीन्द्र घोष उम्र 46 वर्ष नि0 पी-2 -407 आशियाना पाम थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद के सम्बन्ध में सूचना दी कि दिनांक 27.10.2020 की प्रातः 10.11 बजे उनके पति पराग घोष अपनी कार यूपी16एबी5897 हुण्डई एसेन्ट से किसी कार्य के लिये घर से निकले थे वह आज दिनांक 28.10.2020 को सुबह 8.28 मिनट तक लापता है उनका मोबाइल स्विच आफ है । उक्त सूचना पर थाना सिहानीगेट पर मु0अ0सं0 1717/20 धारा 365 भादवि पंजीकृत किया गया ।

घटना के शीघ्र अनावरण हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर, व नगर क्षेत्र के समस्त क्षेत्राधिकारियों के निर्देशन में कुशल एवं दक्ष पुलिसकर्मियों की 5 से अधिक टीमों गठित की गयी जिन्होंने 05 राज्यों में गुमशुदा की गहनता से तलाश की गयी । इस दौरान करीब 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, सर्विलांस टीम द्वारा 500 से अधिक कॉल डिटेल्स का सूक्ष्म अध्ययन किया गया । दिनांक 27.10.2020 को ही दिल्ली जाते हुए फुटेज दिखाई दिया, 28.10.2020 को दिल्ली में रहना 29.10.2020 को पंजाब-हरियाणा होते हुए हिमाचल पहुंचना, 3.11.2020 तारीख को हिमाचल से दिल्ली लौटकर पुन कोलकाता रवाना हुआ 5.11.2020 को कोलकाता लोकेशन मिलते ही रात में ही गाजियाबाद पुलिस की टीम फ्लाइट द्वारा रवाना होकर आज 6.11.2020 तारीख को पराग घोष उपरोक्त को कोलकाता के होटल कोन्टीनेन्टल गेस्ट हाउस से सकुशल बरामद कर लिया गया तथा चर्च मिशन पार्किंग (फतेहपुरी) पुरानी दिल्ली में खड़ी गुमशुदा की कार को भी बरामद कर लिया गया है ।

गुमशुदा पराग घोष द्वारा प्राथमिक पूछताछ में स्वयं अपनी इच्छा से व्यक्तिगत एवं आर्थिक कारणों से घर से चला जाना बताया ।

बरामदगी करने वाली टीम-

- 1.व0उ0नि0 श्री संजीव शर्मा थाना सिहानीगेट
- 2.उ0नि0 श्री कविश मलिक थाना सिहानीगेट
- 3.कां0 रविन्द्र (सर्विलांस सेल गाजियाबाद)

सीसीटीवी सर्विलांस टीम

उ०नि० श्री नरेन्द्र कुमार

का० अखिलेश कुमार

का० हिमांशु

का० नसीम

का० पवन कुमार

का० अनुज

का० विवेक

मुख्य आरक्षी राजकुमार

